न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

(1) प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/09/18	12–02–2018	21–05–2018

1. बीद्दी उर्फ बीरी पुत्र पितरिया जाति गुर्जर निवासी सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. हीरा
2. दीपू पुत्रान मक्खन
3. योगेन्द्र कुमार
4. विजेन्द्र कुमार पुत्रान हरिराम
5. मिनाक्षी
6. इन्दू पुत्रीयान हरिराम जाति गुर्जर निवासीयान सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
7. वन वर्ल्ड रियलटेक प्राईवेट वर्ड ट्रेड सेन्टर बावर रोड, नई दिल्ली –11001
8. मैसर्स संजय गोयल पुत्र जय प्रकाश गोयल जाति महाजन निवासी टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर।
9. मैसर्स गोयल रीयलटर्स एण्ड डवलपर्स, 211 सुनेजा टावर डिस्ट्रक्ट जनकपुरी नई दिल्ली जर्ये डायरेक्टर राजीव गोयल पुत्र जय प्रकाश गोयल जाति महाजन निवासी टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर।
10. रवि कुमार पुत्र शान्तिलाल जाति महाजन निवासी रेलवे रोड नारनौल जिला महेन्द्रगढ(हरियाणा)
11. श्रीमती ईमरती देवी पत्नि रतन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री सुबे सिंह यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री प्रेम कुमार शर्मा –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बअनुवानी बीद्दी उर्फ बीरी बनाम हीरा वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उपखण्ड अधिकारी तिजारा में प्रस्तुत किया था। वाद पत्र के साथ प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। तहत अदालत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अप्रार्थी सं0 8 एवं 9 ने साजबाज होकर अप्रार्थी संख्या 11 श्रीमति इमरती देवी पत्नि रतन सिंह गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील तिजारा को ख0नं0 638/237 रकबा 0.375 है0 में से 10 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया । अप्रार्थी सं0 11 का पुत्र संदीप दायमा

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

भिवाडी का चेयरमैन है तथा प्रभावशाली व्यक्ति है व ऐलानियां तौर पर धमकी देता है कि जैसे स्टे के बावजूद विवादित भूमि का बेचान कर दिया गया है वैसे ही कब्जा भी ले लेगें। तथा अप्रार्थी सं0 11 का पुत्र संदीप ने उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के सामने ऐलानियां कहा कि हमने जमीन को खरीद लिया है तथा फैसला एस.डी.ओ. अब हमारे हक में करेगा यह कहकर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में चला गया । अप्रार्थी सं0 11 पूर्णतया पीठासीन अधिकारी से साज–बाज है। प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई न कर मनमाने तौर पर आनन फानन में कार्यवाही कर जल्दी–जल्दी तारीख पेशी नियत कर मुकदमों का निस्तारण जल्दबाजी में करने का प्रयास किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी मनमानी कर रहें है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिये बल्कि होने जैसा दिखना चाहिऐं। अतः न्यायहित में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐं निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका दिनांक 30.10.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी बार–बार गलत तथ्य अंकित करते हुए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का आदी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण की विधिवत रूप से सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी को प्रभावशील व्यक्ति नही है और ना ही उसके द्वारा पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमनें पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में जाहिर किया है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुरूप ही सुनवाई की जा रही है। प्रकरण में निष्पक्ष एव विधि सम्मत् कार्यवाही की जा रही है, समस्त तथ्य काल्पनिक मिथ्या होने से स्वीकार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में कोई ठोस आधार नही होकर काल्पनिक तथ्य अंकित किये गये है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 आर.आर.डी.117 में यह भी निर्धारित किया गया है कि:–Transfer of a case from a competent court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding officer It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a resonable apprehension in the mind

(हस्ताक्षर)
... कलेक्टर
अलवर (राज0)

of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding officer. Mere making any observation by the Presiding officer during hearing an appeal and on the basis of such obervations, if any of the parties to the appeal feels that the result of appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case,... "

इसी प्रकार 2006–2007 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. 435 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड में दुरूप्योग को बढावा नहीं मिलना चाहियें। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नहीं हों।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र कोई ठोस आधार नहीं होने एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उप खण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्ड़ार हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर,अलवर
अलवर (राज०)